रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022024-251947 CG-DL-E-08022024-251947

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] No. 28] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 8, 2024/माघ 19, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 2024/MAGHA 19, 1945

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2024

अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य एवं केंद्रीय करों और लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना को जारी रखना

फा. सं. 12015/11/2020-टीटीपी.—इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए गारमेंट्स और मेड-अप्स के निर्यात पर सभी अंतर्निहित राज्य एवं केंद्रीय करों और लेवियों की छूट देने के भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में, वस्त्र मंत्रालय द्वारा दिनांक 07.03.2019 की अधिसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी (खंड II) के माध्यम से राज्य एवं केंद्रीय करों और लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना अधिसूचित की गई जो दिनांक 31.03.2020 तक लागू थी। वस्त्र मंत्रालय की क्रमश: अधिसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी (खंड II) दिनांक 7.3.2019 और 14/26/2016-आईटी (खंड II) दिनांक 8.3.2019 द्वारा अधिसूचित योजना दिशानिर्देशों और दरों में बिना किसी बदलाव के सरकार ने उक्त योजना को अधिसूचना संख्या 12015/11/2020-टीटीपी दिनांक 17.04.2020 के माध्यम से दिनांक 01.04.2020 से जारी रखने का निर्णय लिया है। सरकार ने वस्त्र उत्पादों को लागत प्रतिस्पर्धी बनाने और निर्यात नीति व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के लिए दिनांक 13.08.2021 की अधिसूचना के माध्यम से अपैरल/गारमेंट्स (अध्याय-61 और 62) और मेड-अप्स (अध्याय-63) के निर्यात पर आरओएससीटीएल योजना को जारी रखने को दिनांक 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया है।

875 GI/2024 (1)

- 2. इसके अलावा, सरकार ने अपैरल/गारमेंट्स (अध्याय 61 और 62 के तहत) और मेड-अप्स (अध्याय 63 के तहत) के इन अध्यायों के लिए आरओडीटीईपी को छोड़कर आरओएससीटीएल योजना को दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से 2 वर्ष की अविध के लिए और दिनांक 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया है।
- 3. योजना के तहत आवधिकता के अनुसार दरों की समीक्षा की जाएगी जिसका निर्णय वस्त्र मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से लिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के अंतर्गत व्यय आवंटित राशि से अधिक न हो, इन योजनाओं के तहत व्यय और देनदारी की समीक्षा त्रैमासिक आधार पर राजस्व विभाग (डीओआर), वाणिज्य विभाग (डीओसी) और वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) को शामिल करते हुए व्यय विभाग (डीओई) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाएगी, और व्यय को निर्धारित आवंटन के अंदर रखने के लिए आवश्यकता के अनुसार प्रयास किए जाएंगे। सरकार के पास प्रासंगिक अंतर्निहित स्थितियों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए दरों और सीमाओं को उपयुक्त रूप से समायोजित करने का अधिकार है। तथापि, आरओएससीटीएल के तहत पात्रता मानदंड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अन्य वस्त्र उत्पाद (अध्याय 61,62 और 63 को छोड़कर) जो आरओएससीटीएल के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, अन्य उत्पादों के साथ आरओडीटीईपी के तहत, यदि कोई है, तो लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- 4. यह योजना राजस्व विभाग द्वारा हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी करने के लिए एंड टू एंड डिजिटलीकरण के साथ कार्यान्वित की जाएगी, जिसे सीमा शुल्क प्रणाली में एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर में बनाए रखा जाएगा। आरओएससीटीएल योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप निर्यात आय की वसूली पर जोर दिए बिना जारी की जाएगी।
- 5. मार्च, 2026 तक आरओएससीटीएल योजना को जारी रखने और उसके कार्यान्वयन के लिए इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 12015/11/2020-टीटीपी दिनांक 13.08.2021 के माध्यम से जारी दिशानिर्देश यथावत रहेंगे।

श्भ्रा, व्यापार सलाहकार

MINISTRY OF TEXTILES NOTIFICATION

New Delhi the 8th February, 2024

Continuation of Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Apparel/Garments and Made-ups (RoSCTL)

- **F. No. 12015/11/2020-TTP.**—In pursuance of the decision of the Government of India to rebate all embedded State and Central Taxes and Levies on export of garments and made-ups to enhance competitiveness of these sectors, the Ministry of Textiles vide notification No. 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 07.03.2019 notified the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) which was in force up to 31.03.2020. Vide Notification No 12015/11/2020-TTP dated 17.04.2020, the Government decided to continue the said Scheme w.e.f. 01.04.2020 without any change in Scheme guidelines and rates, as notified vide Ministry of Textiles' Notification Nos. 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 7.3.2019 and 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 8.3.2019, respectively. Government had extended continuation of RoSCTL scheme on exports of Apparel/Garments (Chapters-61 & 62) and Made-ups (Chapter-63) till 31st March 2024 vide Notification dated 13.08.2021 in order to make textiles products cost competitive and to provide stability to the export policy regime.
- 2. Further, the Government has decided to continue the RoSCTL scheme for a period of 2 years beyond 1st April 2024 and upto 31st March 2026 for apparel/garments (under Chapter 61 and 62) and Made-ups (under Chapter 63) in exclusion of RoDTEP for these Chapters.
- 3. Rates under the scheme shall be subject to review as per periodicity to be decided separately by Ministry of Textiles and Ministry of Finance. To ensure that the expenditure under these Schemes do not exceed the allocation amount, the expenditure and liability under these Schemes shall be reviewed on quarterly basis by a Committee headed by Department of Expenditure (DoE) and consisting of Department of Revenue (DoR), Department of Commerce (DoC) and Ministry of Textiles (MoT) and measures as necessary, shall be taken to keep the expenditure within the prescribed allocation. Government reserves the right to suitably adjust the rate and caps in the light of change in relevant underlying conditions. However, eligibility criteria under RoSCTL shall remain unchanged. The

other textiles products (excluding Chapter 61,62 and 63) which are not covered under the RoSCTL shall be eligible to avail the benefits, if any, under RoDTEP along with other products.

- 4. The Scheme shall be implemented by Department of Revenue with end to end digitization for issuance of transferable Duty Credit Scrip, which will be maintained in an electronic ledger in the Customs system. Duty Credit Scrip under RoSCTL Scheme shall be issued without insisting on realization of export proceeds.
- 5. The guidelines issued vide this Ministry's notification No. 12015/11/2020-TTP dated 13.08.2021 would continue for continuation and implementation of the RoSCTL scheme till March, 2026.

SHUBHRA, Trade Advisor